

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.)  
क्रमांक/541 /वाचक/2026 जशपुर, दिनांक 07/05/2026

प्रति,

रा.प्र.क्र. .... /अ-62/2025-26  
ग्राम जशपुर प.ह.नं. 07 तहसील-जशपुर

1. वन परिक्षेत्राधिकारी,  
जशपुरनगर
2. राजस्व निरीक्षक,  
रा.नि.मं.-आरा तहसील जशपुर

विषय :- Construction of 4-lane Pathalgaon-Kunkuri-CG/JH Border Section of NH-43 starting from end point Of NH-130A design Ch. 00+000 to Ch. 104+250 (From Turua Ama Village to Putrichoura village) as part of Raipur-Dhanbad Economic Corridor under Bharatmala Pariyojna (Lot5/Pkg-7) in the State of Chhattisgarh (Total Length-104.25 Km) परियोजना में प्रभावित वृक्षों के विदोहन की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प.का.ई. कोरबा (छ.ग.) का पत्र क्र. 25012/4/प.का.ई.-कोरबा/ वाल्यू-1/2024/5317 दिनांक 03/12/2024

—:00:—

उपरोक्त विषयांतर्गत सूचनाकर्ता/आवेदक परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, प.का.ई. कोरबा (छ.ग.) ने अपने पत्र क्रमांक 25012/4/प.का.ई.-कोरबा/ वाल्यू-1/2024/5317 दिनांक 03/12/2024 द्वारा उपरोक्त परियोजना के तहत ग्राम भेलवांडीह स्थित 75 नग विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के विदोहन हेतु अनुमति प्रदान करने हेतु लेख किया गया है।

अतः उक्ताशय के संबंध में संयुक्त जांच कर प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र प्ररूप-घ में तीन दिवस के भीतर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)  
जशपुर, जिला-जशपुर (छ.ग.)

व्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जवापुर, जिला - जवापुर (द.प्र.)  
 फरमांक 1525/वायक/2026 जवापुर दिनांक 07/05/2026 के अध्या (सूचनाधारी)  
 आवेक परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग फा.आ.ई. लेखा (द.प्र.)ने  
 अपने फरमांक 25012/4/फा.आ.ई. लेखा/वायू-1/2024/5317 दिनांक 03/12/2022  
 द्वारा उपरोक्त परियोजना के तहत ग्राम गेलवाडीह स्थित विभिन्न प्रजाति के वृक्षों  
 के विदोहन हेतु अनुमति के संबंध में संयुक्त जांच हेतु जापन प्राप्त हुआ  
 है। जिसके संबंध में दिनांक 10/05/2026 को राजस्व निरीक्षक द्वारा वर्ष  
 वन विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से प्रभावित वृक्षों वर्ष ग्राह्यादियों की उपस्थिति  
 में स्थल जांच लिया गया जो कि निम्नानुसार है:-

फरमांक	ख. नं	ग्रामि स्वामी का नाम	वृक्ष के प्रजाति	वृक्ष के संख्या	वृक्ष के गोलाई (से.मी)	वृक्ष की अनुमानित ऊंचाई (मीटर में)
1.	109	राजनाथ, अठवर, राजधनी फि. बुरा वगे.	कुमुज	1	200	20
			खाल	2	100	12
			गहुआ	8	50	15
			ईगली	1	150	15
	104/6					
2.	28/4	शाकुब, जनेल पिला बिनु वगेह	ऊंज	1	60	10
3.	29	नेवट, धोत्रस फि. फिल्लोम	ऊंज	1	55	10
4.	30	जुवेल, केजागिन, जद- रिगस फि. जोहन	डाग	1	100	15
5.	113/1	राजनाथ, अठवर, राज- धनी फि. बुरा	गहुआ	1	140	15
			डाग	4	40	12
6.	114	पुसे, सोपना, ललध सुरु फि. सी	गहुआ	3	120	15
			खाल	4	45	15
7.	12/2	पालविभुन, बिभुन फि. मुखराज वगेह	खाल	2	60	15
			गहुआ	2	70	12
			ऊंज	3	40	10
योग				34		

अप्राप्त गवाह:-

*(Signature)*  
प्रतिपादक

*(Signature)*  
अधीक्षक

*(Signature)*  
10/05/2026

अधीक्षक के हस्ताक्षर

*(Signature)*  
Confidential

उपस्थित गवाह

जानक बाबू

श्याम शरण

कमलेश्वर भगत

उत्तम

पंकज

पंकज

कृष्णेश्वर दत्ताराज  
रामधनी भगत

बालेश्वर

सम्यक्त राम

रवींद्र प्रसाद

\_\_\_\_\_

क्र.सं.	नाम	पता	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
01	012	1	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
02	011	2	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
03	010	3	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
04	009	4	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
05	008	5	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
06	007	6	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
07	006	7	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
08	005	8	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
09	004	9	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
10	003	10	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
11	002	11	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
12	001	12	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
13	000	13	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
14	999	14	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
15	998	15	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
16	997	16	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
17	996	17	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
18	995	18	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
19	994	19	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत
20	993	20	0123	व्यक्तिगत	व्यक्तिगत

प्रारूप-घ  
(नियम 7(1) देखिए)  
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।  
संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक / 525 / वाचक / 2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-रामधनी, अकबर

(ख) सरपंच / पंच:-प्रेमा खलखो

(ग) पटवारी / कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:-आनंद, राजूराम, कमलेश्वर, लालदेव

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1 / खसरे)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-17

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....  
नहीं .....दी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00


(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-17

(ग) कृषि / व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-17

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त

  
राजस्व निरीक्षक  
आरा जिला जशपुर  
(छ.ग.)

  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
जशपुर जिला-जशपुर  
(छ.ग.)

प्रारूप-घ  
(नियम 7(1) देखिए)  
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक / 525 / वाचक / 2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-याकुब, मानवेल

(ख) सरपंच/पंच:-प्रेमा खलखो

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:- आनंद, राजूराम, कमलेश्वर, लालदेव

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-01

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....  
नहीं .....दी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00


(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-01

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-01

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ङ) अन्य विवरण-उपरोक्त

  
राजस्व निरीक्षक  
आरा जिला जशपुर  
(छ.ग.)

  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
जशपुर जिला-जशपुर  
(छ.ग.)

प्रारूप-घ  
(नियम 7(1) देखिए)  
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-नोर्बट, थोमस

(ख) सरपंच/पंच:-प्रेमा खलखो

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:- आनंद, राजूराम, कमलेश्वर, लालदेव

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-01

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....  
नहीं .....दी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00


(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-01

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-01

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ङ) अन्य विवरण-उपरोक्त

  
राजस्व निरीक्षक  
आरा जिला जशपुर  
(छ.ग.)

  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
जशपुर जिला-जशपुर  
(छ.ग.)

प्रारूप-घ  
(नियम 7(1) देखिए)  
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-बेंजामिन, अमृत

(ख) सरपंच/पंच:-प्रेमा खलखो

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:- आनंद, राजूराम, कमलेश्वर, लालदेव

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-01

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....  
नहीं .....दी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00


(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-01

(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-01

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ङ.) अन्य विवरण-उपरोक्त

  
राजस्व निरीक्षक  
आरा जिला जशपुर  
(छ.ग.)

  
वन परिक्षेत्र अधिकारी  
जशपुर जिला-जशपुर  
(छ.ग.)

प्रारूप-घ  
(नियम 7(1) देखिए)  
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

बिषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-पुसे, बलकू

(ख) सरपंच/पंच:-प्रेमा खलखो

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:- आनंद, राजूराम, कमलेश्वर, लालदेव

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-07

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....  
नहीं .....दी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-07


(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त



राजस्व निरीक्षक  
आरा जिला जशपुर  
(छ.ग.)



वन परिक्षेत्र अधिकारी  
जशपुर जिला-जशपुर  
(छ.ग.)

प्रारूप-घ  
(नियम 7(1) देखिए)  
निरीक्षण प्रतिवेदन

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अनुविभाग-जशपुर, जिला-जशपुर(छ.ग.)

विषय:- वृक्ष कटाई के संबंध में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बावत्।

संदर्भ:- आपके न्यायालय का ज्ञापन क्रमांक/525/वाचक/2026 जशपुर दिनांक 07.05.2026।

संदर्भित आदेश का अनुपालन में संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 10.05.2026 को किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान साक्षी के रूप में निम्नलिखित उपस्थित रहे:-

(क) आवेदक एवं उसके नातेदार:-बालकिशुन, किशुन

(ख) सरपंच/पंच:-प्रेमा खलखो

(ग) पटवारी/कोटवार:-संदीप भगत

(घ) स्वतंत्र स्थानीय साक्षी:- आनंद, राजूराम, कमलेश्वर, लालदेव

तहसील कार्यालय में हुए पंजीयन पंजी एवं राजस्व अभिलेख(बी-1/खसरा)के अवलोकन के आधार पर खसरे में स्थित वृक्षों का विवरण निम्नानुसार है:-

(क) खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों की प्रजाति और संख्या-07

(ख) खसरे पर रोपित वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ग) पूर्व में इस खसरे पर प्राकृतिक रूप से उगे वृक्षों को काटने की अनुमति दिनांक.....  
नहीं .....दी गयी थी।

स्थल निरीक्षण से ज्ञात होता है कि-


(क) खसरे के शुष्क वृक्षों की प्रजाति और संख्या-00

(ख) खसरे के परिपक्व वृक्षों की प्रजाति संख्या-07


(ग) कृषि/व्यवसाय के हित में कटाई हेतु जरूरी वृक्षों की प्रजाति और संख्या-

(घ) नियम 2 की लागू कंडिका कोई हो.....

(ड.) अन्य विवरण-उपरोक्त



राजस्व निरीक्षक  
आरा जिला जशपुर  
(छ.ग.)



वन परिक्षेत्र अधिकारी  
जशपुर जिला-जशपुर  
(छ.ग.)